का, उनको रखने का, अगर ये सब कुछ नहीं होता है तो एक निर्वाचित सरकार काम कैसे कर सकती है? इसलिए मैं मंत्री महोदय की इस बात से बिलकुल सहमत हूं कि उन्होंने ठीक भावना से यह बात कही है कि अगर आवश्यकता है सरकार को अपना काम सुचारू रूप से चलाने की तो इसके लिए कोई न कोई वर्किंग अरेंजमेंट होना चाहिए और वह वर्किंग अरेंजमेंट क्या हो सकता है, मंत्री महोदय के मन में भी उसकी कुछ न कुछ कल्पना होगी, उसको बैठ कर दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों के साथ डिसकस करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, उसको इंवाल्व करना चाहिए, इस सारे प्रस्ताव में से मैं समझता हूं कि यह काम की बात निकलती है।

श्री पी०एम० सईद : महोदया, जो भावनाएं यहां व्यक्त की गई हैं, उसमें मैं भी आशा करता हूं कि यह जो विधेयक है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, एक खास विधेयक पास करके इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। इस विधेयक को पास करने से पहले ही राजधानी के जितने राजनीति में काम करने वाले मेरे मित्र हैं, उन सबसे राय पूछ कर ही यह विधेयक यहां पार्लियामेंट में पेश किया गया था। इसके अंतर्गत क्या हो सकता है संविधान के अंदर, वे बात मैंने सभा के सामने रखी हैं। उसके अंतर्गत उपराज्यपाल का अपना एक स्थान है। उपराज्यपाल और वहां के जो सभापति असेंबली के स्पीकर, वे दोनों मिलकर इसका हल ढूंढ सकते हैं। केन्द्र सरकार इस विधेयक के अंदर आती नहीं है इसलिए हम भी आशा करते हैं कि वे दोनों ऐसा एक वर्किंग अरेंजमेंट करें जिसे कार्यान्वित करने में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसमें मैं भी सहमत हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): I shall now put the motion for consideration of the Bill to vote. The question is:

"That the Bill further to amend the National Capital Territory of Delhi Act, 1991, be taken into consideration."

The motion was negatived.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : फिर ये डिबेट... (**व्यवधान**)...मैडम, अब आप कंसिडरेशन का मोशन रख रही हैं? ...(**व्यवधान**) कंसिडरेशन तो हो गया है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): The motion has been negatived. The mover is also not here.

SHRI P. M. SAYEED: Consideration of the Bill has been negatived.

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: The Bill is the property of the House. The House can accept it or reject it. Once it has been accepted and the discussion has taken place, now it is the property of the House. It is for the House either to accept it to or to reject it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Okay. The House has decided it. Consideration of the Bill has been negatived.

THE ELECTROPATHY SYSTEM OF MEDICINE (RECOGNITION) BILL 1993.

श्री जगन्नाथ सिंह (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता कि इलैक्ट्रोपैथी चिकित्सा पदति (मान्यता) विधेयक, 1993 पर विचार किया जाए।

उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन की ध्यान आकृष्ट करते हुए निवदन करना चाहूंगा कि आज हमारे देश में एक नवीन चिकित्सा पदति का प्रावेइट स्तर पर व्यापक रूप से प्रचार और प्रसार हो रहा है। वास्तव में मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान को किसी देश की सीमा के अंदर बांधकर नहीं रखा जा सकता है। नये नये अधिकारों द्वारा विज्ञान की जो उपलब्धियां हैं वह विश्व की मानवता के लिए है। आज की परिस्थिति में हमारा देश, जो दुनिया के उन देशों में से है जिसका स्थान आबादी की दृष्टि से विश्व में दूसरा है, तो यहां पर रहने वाले लोगों

[श्री जगन्नाथ सिंह]

को समुचित ढंग से चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो, इस दृष्टि से ऐसी चिकित्सा पद्धति की आवश्यकता हमारे देश को है। इस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से देश में रहने वाले तमाम जो गरीब लोग हैं, उनको उचित ढंग से, सही तौर पर चिकित्सा की सुविधा मिल सके, इस कड़ी में यह नवीन चिकित्सा पद्धति जिसे इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के नाम से जाना जाता है, इसकी आवश्यकता आज हमारे देश में है। वर्तमान परिस्थिति में यदि हम देखें तो विश्व के अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक बीमारों की संख्या का अगर सर्वेक्षण के आधार पर हम पता लगायें तो वह अपने देश में मिलेंगे। अगर हम दुनिया के तमाम देशों को तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो पाते हैं सबसे अधिक गरीब लोग हमारे देश में निवास करते हैं। सरकारी आंकड़ों के आधार पर पूरे देश की आबादी में 40 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे की जिन्दगी जी रहे हैं। मनुष्य को जीवन जीने के लिए जिन पांच मूलभूत आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है, उनको प्राप्त करने में कठिनाई होती है। मूलभूत आवश्यकताओं में पहले रोटी है, दूसरा कपड़ा है, तीसरा मकान है, चौथा चिकित्सा है और पांचवीं शिक्षा है। जब तक मनुष्य स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक वह समाज में रहकर अपने स्वतः के और देश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी नहीं निभा सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारे देश के गरीब लोगों को सस्ते दर पर चिकित्सा की सुविधा मिले। पूरे देश की तो मुझे जानकारी नहीं है लेकिन मैं जिस प्रदेश से आता हूं, मध्य प्रदेश में सरकारी आंकड़ों के आधार पर आज की स्थिति में डाक्टरों के पांच सौ पद रिक्त हैं। जिस जिले से मैं आता हूं अकेले उस जिले में 45 डाक्टरों के पद रिक्त हैं। जब डाक्टरों के पद रिक्त हैं तो सरकार की ओर से तमाम दवाइयां उपलब्ध करा भी दी जाएं उन दवाइयों को समुचित ढंग से सदुपयोग करने के लिये दिशा दर्शन और मार्ग दर्शन करने के लिए हमारे पास डाक्टरों का अभाव है। चिकित्सकों के अभाव की वजह से, अस्पतालों के स्टोर में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध दवाइयों के बावजूद भी उनकी कोई उपयोगता नहीं होती। हमारे देश में पूर्व से चार पद्धतियां हैं जिनको सरकारी मान्यता प्राप्त है एलोपैथी, आयुर्वेदिक पद्धति, यूनानी पद्धति और होम्योपैथी पद्धति। इन पद्धतियों के माध्यम से जो सरकारी अस्पताल संचालित किये गये हैं वहां पर डाक्टरों का अभाव है। पिछले समय में मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो डाक्टरों के अभाव के कारण उत्तर प्रदेश सरकार को मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से निवेदन किया गया कि यदि आपके पास डाक्टर उपलब्ध हो तो कृपया उनकी लिस्ट हमारे पास भेज दें ताकि उन्हें मध्य प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में भेजा जा सके। नाम तो दिये गये सरकार की तरफ से उनको पदस्थापित भी किया गया लेकिन दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में, साधन विहीन स्थानों में, वनवासी क्षेत्रों में डाक्टर लोग पोस्टिंग प्राप्त करने के बाद भी अपने पदांकित स्थानों पर उपस्थित नहीं हुए। भारत सरकार की यह घोषणा है कि सन् 2000 तक प्रत्येक व्यक्ति को हम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा देंगे तो ऐसी स्थिति में जब डाक्टर ही नहीं होंगे तो चिकित्सा की सुविधा किस रूप में सरकार उपलब्ध कराएगी, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। हमारे देश की भौगोलिक स्थिति बहुत विचित्र है। आज की स्थिति में जो वनवासी क्षेत्र हैं, जंगली क्षेत्र हैं, जहां 50-60 किलोमीटर के अन्दर सरकारी अस्पताल नहीं होने की वजह से एक साधारण मनुष्य को यदि बुखार आ जाए तो बुखार की टेबलेट के अभाव में लोगों की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। यहां तक जब कोई दुर्घटना हो जाती है, पेड़ से गिर कर, वृक्ष से गिर कर मृत्यु हो जाए, सर्प के काटने पर किसी की मृत्यु हो जाए अथवा कोई खुदकशी कर ले तो ऐसे लोगों को त्वरित ढंग से पोस्टमार्टम की सुविधा भी नहीं मिल पाती है। 50-60 किलोमीटर कंधे पर शव को लाद कर के ग्रामीण नागरिकों को अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। यदि यह घटना बरसात के दिनों में हो जाए तो आप कल्पना कर सकती हैं कि उन लोगों को ऐसी स्थिति में कितना कष्ट उठाना पड़ता होगा। इसलिए आवश्यक है कि किसी ऐसी चिकित्सा पद्धति को अपने देश में मान्यता मिल जाए जिसके माध्यम से

पहले चरण में ही इलाज हो सके। इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम में से प्रशिक्षित होकर जो डाक्टर निकलेंगे निश्चित रूप से उनका रोजगार के प्रति रुझान होगा और हिंदुस्तान के दूरदराज गांवों में वे अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए आज जो यह नवीन चिकित्सा पद्धति है इलेक्ट्रो होम्योपैथी इसकी बहुत आवश्यकता है। हम जानते हैं कि मनुष्य के अलावा पशु जिनके लिए चिकित्सक उपलब्ध नहीं है जो जंगलों में अथवा प्रकृति में विचरण करते हैं यदि बीमार पड़ते हैं तो प्राकृतिक रूप से प्रकृति के द्वारा उनको इतनी कामन सेंस उपलब्ध रहती है कि उस बीमारी की हालत में वे अपनी जीवन रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों को सूंघकर उस रोग से मुक्त हो जाते हैं, उस कष्ट को दूर कर लेते हैं आज हमारी सरकार परिवार कल्याण के लिए देश की बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए चिंतित हैं। अत्याधुनिक तरीके से परिवार को सीमित करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के आविष्कार करके उनके माध्यम से परिवार कल्याण के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। आज भी हमारे गांवों में वनवासी भाई रहते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आज भी वनवासी लोग यदि किसी भी परिवार में बच्चे की आवश्यकता नहीं है तो वे वैसी औषधियों को जानते हैं और उनका सेवन करते हैं कि उनका परिवार नहीं बढ़ता। साथ ही ऐसी औषधियां जानते हैं यदि किसी प्रकार से दुर्घटना के कारण उनके स्वतः केवल बच्चे न रह जाएं तो अपने परिवार की संख्या बढ़ाने के लिए उन औषधियों का सेवन करते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक कुसमी आदिवासी विकास खंड है। उस विकास खंड के अंतर्गत हर्रई नामक एक गांव है। उस गांव में खैरवार जाति के वनवासी निवास करते हैं। उस जाति में पिछले 15–20 वर्ष से बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। तात्पर्य यह है कि कहने का मतलब यह है कि या तो वहां का पानी इस प्रकार से दूषित है या वहां जो पेड़ पौधे उपलब्ध हैं उनका सत या रस कुओं या नदियों में प्रवाहित होकर उनको दूषित कर देता है कि जिसके ग्रहण करने से उनको बच्चे पैदा नहीं होते। यह खोज का विषय है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो यह नवीन चिकित्सा पद्धति है इलेक्ट्रो होम्योपैथी ..... । यह वास्तव में विशुद्ध रूप से वनस्पति से, पेड़-पौधों से प्रत्यक्ष रूप से उसके सत को निकाल करके रोगी को दिया जाता है। इलेक्ट्रो से मतलब है उस वनस्पति का जो रस है, औषधि है वह मर्ज के लिए, रोग के लिए विद्युत गति से प्रभावकारी होता है और इसलिए इस पैथी का नाम इलैक्ट्रो-होम्योपैथी कहा गया है। मैडम, इस पैथी के जन्मदाता इटली के सि. काउंट सीजर मैटी हैं, जिन्होंने औषधियों के संबंध में पूरा अध्ययन करने के पश्चात् इस पैथी का आविष्कार किया। वैसे इस मैडिकल साईंस के संबंध में पिछले दिनों भी इस सदन में माननीय सदस्य श्री सत्य प्रकाश मालवीय जी द्वारा इसे बिल के रूप में भी प्रस्तुत किया गया था और उसमें डिसकशन हुआ था। उस तारतम्य में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पैथी के माध्यम से आज प्राइवेट रूप से हजारों से डिग्री कालेज अपने देश में चल रहे हैं और पिछले कई वर्षों से इस मैडिकल साईंस का प्रचार-प्रसार हमारे देश में हो रहा है और प्रतिवर्ष हजारों विद्यार्थी इस मैडिकल साईंस के माध्यम से प्रशिक्षण ले करके व्यवहारिक जीवन में जो हमारे बेरोजगार नवयुवक हैं वे इस पैथी के माध्यम से समाज में रह करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। इस पैथी की मान्यता से निश्चित तौर पर इस देश के हजारों बेरोजगारों को एक तरफ जहां रोजगार मिलेगा वहीं दूसरी तरफ इस पैथी के माध्यम से जो अपने देश में गरीबों की जो सब से अधिक संख्या है, जो कि रात-दिन मेहनत करते हैं, लेकिन वे यदि कभी बीमार हो जाते हैं तो दवाई के अभाव में उनका जीवन भी समाप्त हो जाता है, तो आज भी परिस्थिति में यह और भी मान्यता देने लायक विषय हो गया है। गैट के माध्यम से जो हमारी सरकार नया पेटेंट कानून ला रही है और उसमें जितनी भी आज हमारे देश में दवाइयां प्रचलित हैं विद्यमान हैं उन पर यदि जर्मनी जापान अमरीका आदि जो विकसित देश हैं उनका यदि दवाइयों के निर्माण में एकाधिकार हो जाता है और उस एकाधिकार होने की वजह से हमारा अपना अनुभव है कि जहां पेटेंट लागू

[श्री जगन्नाथ मिश्र]

हुआ है वहां की परिस्थिति को अध्ययन करने पर मालूम होता है कि आज जो दवाइयां हमारे देश में एक रुपये में बिकती हैं उनकी कीमत बहुत गुना बढ़ जायेगी और ऐसी स्थिति में हमारे भारत देश के गरीब लोग उन दवाइयों का उपयोग नहीं कर सकेंगे । आज की परिस्थिति में जितने भी प्राइवेट तथा शासकीय अस्पताल हैं, उनमें आप देखेंगे कि इन बड़े-बड़े अस्पतालों में जो नए-नए उपकरण हैं, वह तो वास्तव में पैसे वालों के लिए हैं और आज भी खेत में जो काम करने वाले मजदूर, खदानों में काम करने वाले मजदूर, खेतिहर किसान और केन्द्र अथवा प्रांतीय सरकारों में और अन्य प्राइवेट उद्यमों में लगे हुए तृतीय व चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की तरफ यदि हम निगाह डालें तो पाते हैं कि आज सरकारी अथवा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इतनी महंगी दवाइयां हैं कि यदि गरीब व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी हो जाए और उसका जीवन बचना दूभर हो जाए तो उसके लिए दवाइयां उपलब्ध हैं, लेकिन इन सरकारी अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों में केवल पैसे के अभाव में वह गरीब व्यक्ति उन दवाइयों का उपयोग नहीं कर सकता और उसकी जीवन-लीला समाप्त हो सकती है। महोदया, यह हम व्यावहारिक रूप में देखते भी चले आ रहे हैं कि आज दिल्ली महानगर, जो कि इस देश की राजधानी है और जहां क भारत सरकार के तमाम दफ्तर हैं, राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री से लेकर इस देश के भाग्य निर्माण के लिए नीति-नियंता भी यहीं हैं, प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मंदिर भी यहीं है, लेकिन यदि हम दिल्ली को ही ले तो यहां पर ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जो कि झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते हैं और दवाइयों के अभाव में उनकी जीवन-लीला समाप्त हो जाती है।

महोदया, हम कल्पना करें जबकि अस्पताल नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, लेकिन मनुष्य अपने आपको कैसे रोग-मुक्त कर पाता था, यह विचारणीय प्रश्न है। आज जितनी भी दवाईयां वर्तमान में प्रचलित हैं चाहे वह एलोपैथी की हों, होम्योपैथी की हों और चाहे आयुर्वेदिक हों, इन सभी पैथियों की दवाइयां जो निर्मित होती हैं फिर चाहे वह इंजक्शन के रूप में, टेबलेट्स के रूप में या पेंग के रूप में हों, उन का कहीं-न-कहीं वनस्पति जगह से संबंध रहता है। महोदया, आज की परिस्थिति में हमारे यहां प्राकृतिक सम्पदा इतनी भरपुर है कि यदि उन वनस्पतियों का ठीक ढंग से अध्ययन कर के उन का पौधारोपण किया जाय जिससे कि सस्ती दर पर गरीब लोगों को दवाईयां उपलब्ध हो सकें, तो इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। महोदया, आज सर्प के काटने पर इंजेक्शन का हम उपयोग करते हैं, लेकिन गांवों में जहां कि अस्पताल की सुविधा नहीं है, वहां पर दो प्रकार से हमारे वनवासी लोग, गांव के लोग सर्प के काटने का इलाज करते हैं—एक तो मंत्र के माध्यम से करते हैं । ऐसे बहुत से उदाहरण समाज में हैं । यदि व्यक्ति को सर्प काट दे तो मंत्र के द्वारा विष को समाप्त करने का प्रावधान है ।.... (व्यवधान) ... निश्चित रूप से मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मंत्रों के माध्यम से विष उतारने की प्रक्रिया आज भी वनवासी क्षेत्रों में है। उसी प्रकार से वनस्पतियों का उपयोग करके, दवाई पिलाकर के रोग से ग्रसित व्यक्ति को रोगमुक्त करने का प्रचलन आज भी समाज में विद्यमान है। मेरा कहने का मतलब यह है कि यह जो पैथी है, वास्तव में पूर्णरूपेण वनस्पति जगत पर आधारित है। जिस ढंग से इस पैथी की औषधियों का निर्माण होता है, यदि उसका ठीक ढंग से दोहन करके इस पैथी के माध्यम से दवाइयों का आविष्कार किया जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे देश को, हमारे देशवासियों को, हमारे देश में रहने वाले करोड़ों जो गरीब लोग हैं, उनके लिए यह पैथी लाभप्रद हो सकती है।

उपसभाध्यक्ष महोदया, इस पैथी की सरकारी मान्यता के लिए एक इन्क्वायरी कमेटी भारत सरकार की ओर से गठित की गई थी और उस कमेटी में भारत सरकार के प्रतिनिधि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विशेषज्ञ शामिल किए गए थे। इस कमेटी ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट 27 अगस्त 1991 को दी थी। उसमें कार्यवाही इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उस समय की तत्कालीन सरकार अपरिहार्य कारण से नहीं रह पाई और इसलिए वह कार्य अधूरा रह गया। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने इस संस्था के संचालक को एक परिपत्र जारी किया था कि आप को इस पैथी के प्रचार-प्रसार के

लिए अधिकृत किया जाता है, लेकिन अब सरकार द्वारा इस आदेश को न मानकर, जो इस पैथी का प्रचार प्रकार कर रहे थे, उनके कार्यकलापों को बंद करने के लिए उनको नोटिस दे दिया। इस पैथी के लोग न्यायालय की शरण में गए। सरकार की ओर से यह कहना था कि जो कमेटी की रिपोर्ट है वह अपर्याप्त है और इसलिए पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए और इसी आधार पर इस पैथी के संचालक न्यायालय की शरण में गए। न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि जो प्रथम इन्क्वायरी कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी से जो रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है वह पर्याप्त है और उस आधार पर भारत सरकार को मान्यता देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। वह प्रकरण अभी माननीय न्यायालय में चल ही रहा है, लेकिन इसके बाद भी भारत सरकार की ओर से या राज्य सरकारों की ओर से, जहां-जहां, इस पैथी के माध्यम से जो कालेज चल रहे हैं, जो विद्यार्थी प्रशिक्षित होकर के समाज में अपना मेडिकल कार्य कर रहे है, उनको जो अलग से आदेश सरकारों की ओर से दिए गए हैं, उससे उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वास्तव में अच्छा होगा कि आज जो हजारों विद्यार्थी इस पथी के माध्यम से अध्ययन करके डिग्री-डिप्लोमा लेकर के जो समाज में अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उनके हित के लिए तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए यह आवश्यक है कि सरकार इस नवीन पांचवी चिकित्सा पद्धति को सरकारी मान्यता दे, ताकि देश की जनता को इसका लाभ मिल सके।

मैडम, इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जिनके संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और उससे स्पष्ट होगा कि वास्तव में इसकी उपयोगिता व्यक्ति के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कितनी जरूरी है। इसमें विशेषता यह है कि यह चिकित्सा पद्धति अन्य चिकित्साओं से शीघ्र अपना प्रभाव दिखाने वाली है और नवीन रोगों में यह औषधी इतना शीघ्र लाभ पहुंचाती है कि रोगी शीघ्र ही रोग-मुक्त हो जाता है अथवा इन औषधियों में किसी प्रकार का भी विष न होने के कारण इनका प्रयोग अत्यंत सरल है तथा इससे रोगी को किसी प्रकार का भय नहीं रहता। इन औषधियों का प्रयोग करते रहने से भविष्य में किसी प्रकार का कोई खतरनाक रोग नहीं होता, क्योंकि जब रक्त एवंम्... (व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा) जगन्नाथ जी, एक मिनट। इनका एक प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : यहां पर बगैर बुलाए कुछ प्राणी है – मक्खी है, शहद की मक्खी है, घूम रह हैं, किसने उनको मैम्बर बनाया है, कस आ गयी हैं, अन्दर? मक्खी भी है और शहद की मक्खी भी है। यह बड़ा प्वाइंट आफ आर्डर है कि जिसको अथारिटी नहीं है, अन्दर आने की, मक्खी और शहद की मक्खी अन्दर कैसे आ गयी?

उपसभाध्यक्ष अब इसके ऊपर क्या जांच समिति बैठानी पड़ेगी?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं? या फिर इनको कहिए जो आपके अधिकारी हैं कि इनको बाहर निकालें।

श्री जगेश देसाई: मगर ताली मार-कर इनको हटाना नहीं है, ताली नहीं मारनी है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: नहीं, जो मार्शल है, उनको कहो कि बाहर निकालें।

श्री जगन्नाथ सिंह: उपसभाध्यक्ष महोदया, चौथा, दूसरी चिकित्साओं में एक अवगुण यह है कि उनकी औषधियां अधिक समय तक प्रयोग में लाई जाय

तथा उनसे रोगों को जड़ से मिटाने की कोशिश की जाए, तो उनसे लाभ पहुंचने की जगह हानि होती है और रोगी को विशेष प्रकार के रोग ग्रासित कर लेते हैं। लेकिन यदि इस इलैक्ट्रो होम्यो-पैथी की औषधियों का उपयोग कई वर्षों तक भी किया जाए, तो उनका रिएक्शन नहीं होता। कुछ रोग हैं, जिनको कि दूसरी चिकित्सा पद्धतियों के डाक्टरों ने असाध्य बताया है, जैसे कि दमा, हैजा, बवासीर, कैंसर इत्यादि, परन्तु इलैक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों से इन रोगों में अत्यन्त लाभ होता है। यदि औषधि का चयन सही तरीके से हो तो रोगी पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है। छठा, कुछ रोग पैतृक होते हैं, जैसे सुजाक, मिरगी, कंठमाला इत्यादि यदि इस पैथी की औषधियों का महिला को गर्भ ठहरने के समय से सेवन कराया जाए, तो बच्चा उक्त रोगों से मुक्त रह सकता है। सातवां, इलैक्ट्रो होम्योपैथी औषधियों का सेवन करना बहुत आसान है, रोगी चाहे कितना निर्बल या बीमारी से बेहोश हो, ये औषधियां आसानी से खिलाई जा सकती हैं या इंजेक्शन द्वारा इन औषधियों का शरीर में प्रवेश कर रोगी को राहत दिलाई जा सकती है। आठवां, इन औषधियों का रिएक्शन नहीं होता। आज समाज में ऐलोपैथी का बहुत प्रचलन है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट बहुत होता है....।

इसलिए आज समाज के कमजोर वर्ग जो गरीब हैं तथा यह देश जो अपने देशवासियों को स्वस्थ नहीं रख पा रहा है और उसका एक ही कारण है कि जितनी अन्य चिकित्सा पद्धतियां हैं, वह इतनी महंगी हैं, उनकी दवाइयां इतनी कीमती हैं कि गरीब लोग उसका सेवन नहीं कर पाते। इसलिये आज देश और समाज को एक ऐसी चिकित्सा पद्धति की आवश्यकता है जो देश को, समाज को, गरीबों को लाभकारी हो। इसीलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अपने देश में फ्लाएथी, आयुर्वेद, होम्यो-पैथी और यूनानी चिकित्सा पद्धति को सरकारी मान्यता प्राप्त है, उसी प्रकार से इस नवीन पांचवी चिकित्सा पद्धति जिसे हम इलैक्ट्रो-होम्योपैथी के नाम से जानते हैं, इसको सरकारी मान्यता मिले ताकि इससे लग हुए हजारों लोगों को जो बेरोजगारी का आलम है, उससे भी निजात पा सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): धन्यवाद। मेरे सामने तो इस विधेयक पर बोलने वालों का नाम नहीं है।

श्री नरेश यादव (बिहार): मैं बोलना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष : ठीक है, बोलिए, पांच मिनट।

श्री नरेश यादव : उपसभाध्यक्ष महोदया, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, इलाज की विभिन्न पद्धतियां हैं – आयर्वेद, यूनानी, एलोपैथी, होम्यो-पैथी और आज मेरे साथी ने एक नई पैथी के बारे में चर्चा की है और उसी बारे में मैं अपने साथी द्वारा रखे गए बिल का समर्थन करता हूं, जो इलक्ट्रो-होम्योपैथी है। मूलतः यह इलक्ट्रो-होम्योपैथी रक्त और रस दो सिद्धांत पर टिका हुआ है और मूल बीमारी जो हम लोगों को, आम लोगों को होती हैं वह रस या रक्त से होती है। रस से कफ और रक्त से विभिन्न तरह की बीमारियां होती हैं, जो आम हैं। जो इलाज दिया जाता है, डाक्टर के द्वारा, विभिन्न पैथियों द्वारा वह इलाज रोगों को दूर कम करता है, रोगों को बढ़ाता ज्यादा है। यह सिद्ध बात है कि हिन्दुस्तान में दवाई से मरने वालों की संख्या जितनी अधिक है, उतना इलाज से मरने वालों की संख्या नहीं है। इसका कारण यह है कि आम हिन्दुस्तान में लोग गरीब हैं। उनके पास खाने के लिए अन्न नहीं है और जब वह डाक्टर के पास जाता है,

तो एलोपैथी के डाक्टर बड़ी-बडी गोलिया दे देते हैं। उससे ताकत कम और दवाई की ताकत ज्यादा होती है। इसका परिणाम यह होता है कि जो शरीर का स्ट्रेंथ है, उससे ज्यादा पावर की दवाई दी जाती है और हम इस बात को जानते हैं, व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी अपना अनुभव है। इस तरह से मेरे सामने कई रोगी मर गय हैं, दवाई खाकर। इसलिए मरे साथी ने जो बात रखी है, 1865 में महान विद्वान इटली के डा० साहब ने इस सिद्धांत को प्रतिपादन किया। हहनेमैन साहब ने भी किया। उसी तरह से एलोपैथी ने भी किया। आज तक इस पैथ को कोई मान्यता नही मिली है। इसलिए कि यह सिद्धांत टिका हुआ है, गांव से, यह सिद्धांत दूब पर टिका हुआ है जिस हरी दूब पर हम चलते है। उस दूबे को अगर हम पीस कर खा जाएं, तो हमारे बहुत सारे रोग दूर हो सकते है। रक्त को शुद्ध करने के लिए हम लोग विभिन्न तरह की दवाइया खाते हैं। अगर पहाड़ पर मिलने वाले चिरहोंटा जिसको महानुभाव नही जानते होंगे, वह चैत्र मास में पीसकर पी लें। तो हमे कभी भी रक्त की बीमारी नहीं हो सकती। यह जो जो सिद्धांत गैरी सहाब ने रखा है, हमारे लिए कोई खर्चा नही है और दुख इस बात का है कि ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांत को भी आज तक कोई मान्यता नहीं दी गई है। निश्चित तौर से यह महत्वपूर्ण सिद्धांत इन्होंने रखा है। जब कभी भी कुत्ते को बदहजमी हो जाती है तो कुत्ता जाता है। दौड़ करके वह एक खर खा लेता है और उलटी कर देता है जिससे उसकी बीमारी समाप्त हो जाती है। इस तरह मे हमारे यहां अनेकों तरह की हिन्दुस्तान में जड़ी-बूटियों का भण्डार है और उसी से रस तैयार करके हम इलाज कर सकते हैं। इससे किसी तरह के साइड इफेक्ट की बात नहीं आती है, किसी तरह का साइड एफक्त नहीं हो सकता है। हमें सिर में दर्द है और बड़ी-बड़ी गोलियां खा लेते हैं। साधारण तौर से सिर में लेप करने से ही बीमारी दूर हो जाती है लेकिन हम बड़ी-बड़ी गोली खा करके दर्द को और बढ़ाते है, दर्द को दबा देते हैं, लेकिन अन्दर की पीड़ा को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण आगे आने वाले समय में **दर्द** कम तो क्या और ज्यादा बहुत जाता है। इसीलिए, आपका ज्यादा समय नहीं लगा करके मैं इलेक्ट्रोपैथी के बारे में जो इन्होंने अपनी बात रखी है मैं उसका समर्थन करता हूं। इस पैथी को भी भारत सरकार की तरफ से मान्यता मिलनी चाहिय, जिसके कारण गरीब आदमी भी अपना इलाज कर सके और जिस तरह से आज इलाज इतना ज्यादा महंगा हो चुका है कि इलाज आम गरीब के पास नही पहुंच पा रहा है और इस सिद्धांत के तहत जिस सिद्धांत का प्रतिपादन हमारे मैरी साहब ने किया है, उस सिद्धांत को महत्व दे करके और नए-नए अनुसंधान का अवसर देना चाहिए। शुद्ध रस के निर्माण के लिए, दवाई के निर्माण का सुअवसर दना चाहिय। इसलिये मैं समर्थन करता हूं कि और आशा करता हूं कि इसे भी कानून बना करके इस पैथी को भी मान्यता अन्य पैथियों की तरफ दी जाएगी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से यह जो विधेयक लाया गया है, इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति की मान्यता का, मैं इस पर बोलना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं अपन आपको इससे सम्बद्ध घोषित करना हूं कि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और जो माननीय सदस्य इसको लाए है, इनकी मैं सराहना करता हूं, इसको मान्यता दी जानी चाहिए, ऐसा मेरा मत है। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): और कोई वक्ता तो नही है, इस पर। मंत्री जी, आप कुछ बोलेंगे ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): Madam, I am thankful to the hon. Member, Shri Jagannath Singhji, who has brought forward this Bill,——ably supported by hon. Shri Naresh Yadavji. I just want to remind them that this Bill was exhaustively dscussed last time in

[Shri Paban Singh Ghatowar]

this House when it was brought in by Shri S. P. Malaviyaji and when we from our side explained about the system and the hon. Member very kindly agreed to withdraw this Bill. When Shri Jagannath Singhji was a Member of Lok Sabha, at that time also he had brought in this Bill in the Lok Sabha and there also it was withdrawn. Thereafter, another hon. Member of Lok Sabha, Shri Bishveshwar Bhagatji also brought in a Bill, from our side we explained the position and he withdraw that Bill.

Madam, introducing a system—medical system—in a country is a very difficult and time-consuming process because that has to be based on scientific analysis and scientific examination, only then the Government—any Government—can consider introducing a system. Even for introducing a simple medicine they have to observe the protocol, they have to examine the efficacy of that medicine, then the action—reaction everything, and then they agree to enlist that medicine in Allopathy or in Ayurveda or in Homoeopathy. These are the systems which are recognised in our country. Madam, when we are talking about a new system —a fifth system in our country, definitely we have to give a serious thought to that system. Madam, when this matter was raised for the first time in this House, the Government took various steps. I want to inform the Members of this House that the Government of India has identified—we have identified—four systems in our country, apart from the modern system, i.e., Allopathy—Ayurveda, Siddha, Unani and Homoeopathy, for offering curative services to the public at large. These different systems are based on their history, concept of health and ill-health and a process to deliver scientific and rational management of a disease. Even very recently our hon. Prime Minister has created a new department for the development of Indian systems of medicine. I am proud to say that India is the leader in the indigenous system of medicine. Our knowledge about medicines is more than thousands of years old. This is evident in our ancient scriptures dealing with Ayurveda and many other ancient books. Even from these books we are not in a position to translate those medicines into reality and bring into our system. For Ayurveda, we have already set up a committee under the Chairmanship of Prof. Namjoshi who is a renowned man in the field to find out and bring about a pharmacopoeia of the Ayurvedic medicines so that they can be manufactured on a scientific basis and can be considered press for in to our medical system.

Madam, about this electro-homoeopathy system, when this was first brought, we had set up a committee way back in 1988 under the Chairmanship of the then Director-Gentral of the Indian Council of Medical Research, who is a renowned scientist in the field of medical research. There were other members also like Prof. N. K. Bhide, Professor and Head of Department of Pharmacology, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, Prof. D. P. Rastogi, Director of Central Council for Research on Health, the Drug Controller of India, and the Deputy Director General (Medical) of the Central Government. We have given the terms of reference: to examine from scientific angle and using scientific methods the claims put forth in relation to electropathy/electro-homoeopathy as a new fifth system of medicine/treatment in India and to establish its scientificity, if any; to examine and trace the origin, contemporary revival, if any, and the principle of "*complexa complexis currentur*" underlying the electropathy/electro-homoeopathy system of medicine as claimed and to establish an exclusive and independent exis-

tence to this system of treatment; to examine clinically the efficacy or utiliv potential of electropathy/Electrohomoeopathy system of treatment and its relative merits or unique characteristics, if any, as compared with the other established systems of medicine such as allopathy, Ayurveda, etc. to make it instrumental in the delivery of health care through the national health schemes; to examine and determine conclusively based on scientific and/or clinical analysis. Madam, I am reading about some of the references just to illustrate that the Government has examined all sides. The Expert Committee constituted was asked to examine all these things scientifically. What are the findings of the Committee ?

Madam, I just try to give some of their conclusions. A large number of books on electrohomoeopathy published in India are available. However, a perusal of them indicates that they are all based on a limited concept developed in the 19th Century. The Committee has not been able to obtain any evidence that the electrohomoeopathy system is recognised in any country. Apparently, some of the drugs used by the practitioners of this system are manufactured by Germany only for export to developing countries like India. So, Germany produced these medicines only to export to the developing countries. They are not even using these medicines after 1980. You can imagine what the position of this system will be. At present, no information is available regarding the controlled clinical trials. It is suggested that for making any meaningful conclusion, long term prospective scientific studies involving clinical trials with various Electrohomoeopathy drugs for the management of specific diseases should be conducted. So, there is no official pharmacopoeia of this system. Madam, these are the findings of this Committee. Then again when it came for discussion in the Lok Sabha, the then Deputy Minister of the earlier Government in 1991 gave an assurance that all these things would again be examined. Another Committee was set up under the chairmanship of Dr. S. D. Sharma. There were also other renowned people in the field of medicine who were members of this Committee. They have given their findings on this system. They did not agree to this system. Some of the observations which were made by this Committee were: I would like to mention some of them. The literature in Electro homoeopathy does not provide any method to evaluate the scientific basis of the method of treatment, concept of etiology and pathogenesis of a disease. No scientific evidence is available regarding the electric charge produced in these medicines They They have said that this system cannot be introduced in our health system. Madam, though the Member has rightly mentioned that there are many places, remote places, and tribal areas, in our country where doctors are not available. For that we cannot send the people who are not actually the doctors. They are not recognised doctors. Not even a single instiution reorganised by university or Medical Council have recognised them recognises them. I am taking this opportunity to appeal to everybody to tell the public that they should not encourage their children to go these instiutions because these are not the recognised institutions. Some people visied them and found there some part-time allopathic doctors, some Homeopathic doctors, who are teaching there. No university agreed to recognise their curriculum. No Medical Council has recognised this system. I think the Government cannot take the responsibility for those people who are getting trained there, getting diplomas there and getting so-called degrees there in those institutions. Madam, it will be a very negative step if we allow these people in our medical system. I think we have to think about it very seriously. We have to discourage this and at the same time, we should en-

[Shri Paban Singh Ghatowar]

courage them to go for training in Allopathic, Homeopathic, Ayurvedic, Siddha, Unani system. There are diplomas and degress in all these systems. They are the recognised system. We cannot recognise this system just because there are a few hundreds of boys and girls taking education there. Madam, I will appeal to all the Members of this House that when we discuss about any new system of cure and if we want to keep our nation healthy, keep our citizens healthy. I think, we should not encourage this type of profession. So, I humbly request the hon. Memeber, Shri Jagannath Singh to withdraw his Bill. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Jagannathji, would you like to say something?

श्री जगन्नाथ सिंह (मध्य प्रदेश) : माननीय मंत्री महोदय के जवाब को मैं सुन रहा था कि इस मेडिकल साइंस को मान्यता देने में कठिनाई है क्योंकि परीक्षण करने पर उनके अनुसार जो विद्वान डाक्टर लोग हैं वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे कि वास्तव में इस पैथी की दवाइयां प्रभावकारी तथा लाभकारी हैं। जहां तक सरकारी मान्यता का प्रश्न है, पिछले समय से हमारे देश में चार चिकित्सा पद्धतियां विद्यमान हैं । उनमें एलोपैथी काफी मशहूर है । इसको हम अच्छी तरह से जानते हैं तथा इस पैथी के माध्यम से अधिक रोगग्रस्त लोग दवाई कराना पसंद करते हैं। इस पैथी को अपने देश में इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट के तहत 1916 में मान्यता मिली थी । मेरा कहना है कि इस पैथी के अविष्कारक जो विद्वान रहे होंगे उन्होंने तत्काल अविष्कार करके किताबें लिखी होंगी, समाज में इसको प्रस्तुत किया होगा, सारा अध्ययन किया होगा और तुरंत उसको सरकारी मान्यता दे दी गयी हो ऐसा नहीं हुआ होगा । बल्कि इसका प्राइवेट रूप से निश्चित तौर पर प्रचार हुआ होगा । अध्ययन किया गया होगा । अध्ययन करने के पश्चात् ही जब समाज के लिए, व्यक्ति के लिए इसको लाभकारी पाया गया होगा तभी इसको सरकारी मान्यता मिली होगी । उसी प्रकार से दूसरी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है । यह हमारे देश की है। आयुवद का तो बहुत पुराना इतिहास है। तीन चार हजार वर्ष पहले से हिन्दु धर्म शास्त्रों और ग्रंथों में इसका जिक्र मिलता है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के माध्यम से हमारे पूर्वज लोग अपनी और मानव समाज की चिकित्सा किया करते थे। इस चिकित्सा पद्धति को सरकारी मान्यता मिलने में एक बहुत लम्बे समय तक इंतजार करना पड़ा। आयुर्वेद को सन् 1932 में सरकारी मान्यता मिल पाई उसी प्रकार से होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का इतिहास है कि पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के समय पर इस चिकित्सा पद्धति का अविष्कार हुआ था । इसके माध्यम से लोगों को दवाइयां दी जाती रही । लेकिन इस पद्धति को सरकारी मान्यता देने के लिए 110 वर्ष बाद सन् 1949 में भारत सरकार द्वारा एक इंक्वायरी कमेटी फार होम्योपैथी गठित की गयी। उसकी रिपोर्ट 1950 में सरकार को प्राप्त हुई और सन् 1973 में इस पैथी को सरकारी मान्यता मिली । इस पैथी के संबंध में जो मेडिकल साइंस है उसके संबंध में उन्होंने अपने जवाब में कहा कि इसके अविष्कारक अथवा जन्मदाता ने 19वीं शताब्दी में जो कुछ बातें कहीं थीं, किताबें लिखी थीं, साहित्य लिखा था, आज यह उपलब्ध नहीं है। किसी भी विज्ञान का अविष्कार एक ही बार होता है । और उसका प्रचार-प्रसार दूसरे लोग करते हैं। अब प्रश्न यह है कि हिन्दुस्तान जो 90 करोड़ आबादी वाला देश है, इस देश में बेरोजगारी की हालत है और पिछले कई वर्षों से सरकारी मान्यता नहीं मिलने के बावजूद भी इस नवीन चिकित्सा पद्धति के माध्यम से सोसाइटी एक्ट के तहत संस्था को रजिस्टर्ड करा करके अशासकीय मैडिकल कालेज चल रहे हैं और उससे शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् देश के विभिन्न भागों में हमारे जो बेरोजगार नवयुवक है वे अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं और इसलिए यदि आज की स्थिति में सरकार को कोई परेशानी है तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा

कि सरकार से कि कम से कम इसके प्रचार-प्रसार के लिए भारत सरकार कोई बाधा उपस्थित न करे, इस प्रकार का आश्वासन तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि स्वतः स्वीकार किया गया है कि इस पैथी के संबंध में पुस्तकें लिखी गई हैं और इसका विस्तार हुआ है और उसके माध्यम से हमारे देश में लाखों लोगों की जीविका आधारित है। इसलिए यदि सरकार के समक्ष मान्यता देने में किसी प्रकार की मजबूरी है या परेशानी है तो कम से कम इतना अवसर तो इस पैथी को मिलना चाहिए कि वे सुचारू रूप से अपना प्रचार प्रसार कर सकें और समय-समय पर यदि इटली में इसका आविष्कार हुआ है तो दूसरे देशों में किसी भी मैडिकल साइंस का, विज्ञान का प्रचार-प्रसार न हो, आविष्कार है नहीं ऐसा मैं नहीं समझता क्योंकि ज्ञान और विज्ञान जो है वह किसी एक व्यक्ति के लिए या एक देश के लिए नहीं हुआ करता वरना समस्त विश्व के लिए, विश्व मानवता के लिए हुआ करता है। इतना जरूर है कि सभी प्रकार के जो आविष्कार होते हैं उनका एक गुण का होता है, एक पक्ष दोष का होता है और यह प्रकृति प्रदत्त है। इसलिए यदि इसमें कोई दोष है तो उसको सरकार को वॉच करना चाहिए। लेकिन आज की परिस्थिति में जो उस रास्ते पर हजारों लोग चल पड़े हैं, उनका जीविकोपार्जन उसी से हो रहा है तो ऐसी स्थिति में मेरा आग्रह होगा कि कम से कम प्रचार-प्रसार के लिए अनुमति दी जाए और सरकारी नियंत्रण इस बात का रहे कि इसका दुरुपयोग न हो, यह मेरा निवेदन है।

श्री नरेश यादव : मैडम, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो बात अभी रखी है, बहुत उचित बात है कि उन्होंने सदस्यों को और देश के लिए कुछ आह्वान किया है कि ऐसी पैथी में न जाया जाए, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, हम आश्वासन चाहते हैं कि देश की बड़ी-बड़ी विभूतियों के नाम से जो फर्जी मैडिकल कालेज खोल करके नौजवानों का शोषण कर रहे हैं खास करके कटिहार मैडिकल कालेज और किशनगंज मैडिकल कालेज कुछ सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं, कम से कम ऐसे संस्थानों को तो निश्चित रूप से बन्द करना चाहिए जिससे कि ये नौजवानों का शोषण नहीं कर सकें।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा) : मंत्री जी, आप कुछ बोलेंगे ?

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR: Madam, I just want to clarify the point raised by our friend, Jagannath Singhji. This Committee under the chairmanship of Dr. S. D. Sharma, was set up on the demand of Jagannath Singhji. Jagannath Singhji was a Member of the Lok Sabha. He is aware of the conclusions of the Committee. I want to refresh his mind. I want to read out two or three points.

On whether the Electropathy/Electrohomoeopathy system is a well established system of medicine, the Committee has concluded:

(a) The literature in Electrohomoeopathy does not provide any method to evaluate the scientific basis of the method of treatment, concept of etiology and pathogenesis o a disease.

(b) No scientific evidence is available regarding the electric charge produced in these medicines.

'From the above observations, it is clear that these principles of Electrohomoeopathy do not lend themselves to scientific analysis. The materia medica is limited, pharmacopoeia does not exist and there are no documents on clinical trials with drugs and as such the electrohomoeopathic remedies cannot be accepted as the method of effective remedies for human ailments. Adequate justification does not exist for accepting electrohomoeopathy as a well established system of medicine."

Madam, Jagannath Singhji has mentioned above educational institutions also. The Committee has considered that problem also, and it has observed:

"The Committee carefully examined this issue and felt that there are no recognised institutions in the country and the degrees and diplomas awarded by many Electro-homoeopathy or Electropathy Institutes/Colleges have no legal or statutory authority.

"There is no official pharmacopoeia. Though there are numerous colleges of electrophomoeopathy imparting education to students in the system, these colleges are probably affiliated to institutions registered under India Societies Act.

There is also no uniformity in the nomenclature of the degree/diplomas awarded by various institutions imparting such training.

The teachers in many such institutions are either qualified Homoeopaths or practitioners of Indian System of Medicine. In some institutions they have part-time teachers from modern system. However, the number of such institutions are many and widespread and the number of such practitioners is equally large."

These are the observations of the experts Committee. Experts were there. They have held several sittings and discussions. They have called witnesses. They have visited institutions also. After that, they have given their observations. I forgot to mention one thing. After that some people went to the Allahabad High Court.

The Allahabad High Court, *vide* their order dated 29-10-91, directed that the Secrtary (Health) should apply his mind to two communications, i.e., a report of Expert Committee dated 16.05.1991 and the communication dated 14.06.1991 of the then Deputy Minister of Health and Family Welfare, Government of India and pass final orders regarding recognition of the system without asking for any further communication from the Expert Committee.

In view of the said orders of the Allahabad High Court in Writ Petition filed by one Naturo Electro Homoeo Medicos of India, having its Head Office at Janakpuri, New Delhi, a reasoned order has been passed by the Union Health Secretary on 19.01.1993, taking into consideration that:

"The grant of recognition provides credibility in the public and particularly to patients seeking clinical treatment. The Government must ensure prior to recognising any system. that the system has its own pharmacopoeia. it is widely recognised and it must have correlation with other system of medicine."

It is evident in the instant matter that—

(a) This system does not have any official pharmacopoeia;

(b) It is an old system practised in the second half of 19th century in Italy. It has not grown since then. It does not appear to have wide recognition. The drugs are imported from Germany under the licence for Homoeopathy drugs.

(c) Every system has current literature which indicates the efficacy of the system and which is presented on the basis of scientifically derived data., But the literature of this system is of Italy and German origin, which dates back to the 19th century.

(d) Comparative data based on corelationship with other systems of medicine and its relative efficacy compard with other systems is also not available.

In view of the above infirmities, it was concluded that the electrohomoeopathy system cannot be recognised at the present stage of development.

Madam, this is the reasoned order of the then Health Secretary in 1993. Nothing has developed after that. That reasoned order was also

given after the directive of the hon. High Court of Allahabad. Madam, I feel the hon. Member will agree that it is not for laymen like us to plead for a system when we have appointed, not one expert committee, but two expert committees. We have gone into the directive of the hon. High Court also. After that the Health Secretary had given a reasoned order. Because of all this I would request the hon. Member not to press for this Bill. I appeal to him to withdraw this Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Mr. Jagannath Singh, are you withdrawing the Bill or shall I put the motion to vote?

श्री जगन्नाथ सिंह : मैडम, इस पैथी के माध्यम से प्राइवेट मेडिकल कालेज चल रहे हैं। पूर्व में इसमें सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था और आज के उत्तर में सरकार की ओर से कहा गया कि इसका जो प्रचार-प्रसार हो रहा है इसके बारे में देश की जनता को ठीक ढंग से मालूम नहीं है, लेकिन जब किसी भी आविष्कार का प्रचार-प्रसार ही नहीं किया जाएगा तो देश की जनता को कैसे मालूम हो सकता है। जब हम किसी बात को यहां पार्लियामेंट में बहस करके कानून की शक्ल देते हैं तो सरकारी मीडिया के माध्यम से जनता-जनार्दन तक वह बात पहुंचाने का प्रयास होता है कि यह आपके फायदे की चीज है और तभी देश के नागरिकों को इस बात की जानकारी हो जाती है। इसलिए सरकार से आग्रह करूंगा कि यदि इसमें कोई दोष है तो निश्चित रूप से उसको दूर करने के लिए उपाय सुझाए जाने चाहिएं। यहां तक प्रचार-प्रसार का सवाल है, इसमें सरकार यदि यह आश्वासन दे कि देश में पुनः जांच कमेटी बैठाई जाएगी और इसको गुण-दोषों के आधार पर सरकारी मान्यता देने के संबंध में विचार किया जाएगा, तो निश्चित रूप से मैं अपना यह बिल वापस लेने के लिए बात कर सकता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमतीकमला सिन्हा): क्या सरकार ऐसा आश्वासन देगी?

श्री प न कुमार घटोवर : मैडम, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि इस स्टेज में इस सिस्टम को गवर्नमेंट रिकोगनाइज नहीं कर सकती। जैसा माननीय सदस्य जगन्नाथ सिंह जी बोले कि ट्राइबल में अपना सिस्टम है, मडम, अपना अपना सिस्टम तो बहुत ही चल रहा है, लेकिन सरकारी तौर से रिकोगनाइज करना उसका अलग एक मायने रखता है। इसलिए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि यह सिस्टम जब अपने आप पापुलराइज करेगा, जब लोग देखेंगे कि इससे हमें फायदा होता है, इस सिस्टम का जब गवर्नमेंट की साइंटिफिक जानकारी में यह प्रभाणित हो जाएगा तब सरकार इस विषय में जरूर सोचेगी।

उपसभाध्यक्ष : क्या आप इसे वापस लेते हैं?

श्री जगन्नाथ सिंह: जी हां, मैडम।

उपसभाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि बिल वापस लिया जाए?

माननीय सदस्य : जी।

उपसभाध्यक्ष: बिल वापस हुआ।

(बिल वापस हुआ)

उपसभाध्यक्ष : अब हमारे सामने सूची में और भी विधेयक हैं। सूची में नंबर 9, श्री एस. एस. अहलुवालिया। अनुपस्थित। नंबर दस, श्री सुरेश पचौरी :

आप इसको कंसीडर के लिए मूव करेंगे?

THE SMALL FAMILY (INCENTIVES AND MOTIVATION) BILL, 1991.

श्री सुरेश पचौरी: (मध्य प्रदेश) : जी मैडम।

मडम, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

"देश में छोटा परिवार रखने के मानदंडों को बढ़ावा देने का तथा छोटे परिवारों को प्रोत्साहन प्रदान करने और लोगों को छोटा परिवार रखने के मानदंडों को अपनाने हेतु प्रेरित करने के उपाय उकरने तथा परिवार कल्याण उपायों को सांविधिक दर्जा प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सरकार को शक्ति प्रदान करने तथा तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले निजी विधेयक-छोटा परिवार (प्रोत्साहन और अभिप्रेरण) विधेयक, 1991—पर विचार किया जाए।